फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

चुन्नीलाल पिता भीमराज जाट निवासी मदनपुरा, तहसील भदेसर

बनाम

सुरभि पिता बसंतीलाल रांका महाजन निवासी भादसोड़ा वगैरा

प्रकरण संख्या 21/2020 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। अधिवक्ता अपीलांट को कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होनें रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 03 वर्ष 10 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	